उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालय- चंदौली
मकान नं0- 10 व 10/1, चतुर्थ तल, कलपतरू कॉम्पलेक्स नई बस्ती, जी.टी. रोड, पोस्ट- पीडीडीयू नगर, (मुगलसराय) जिला- चंदौली- 232101

सार्वजनिक नीलामी

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूहित प्रर्वतन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) को माँग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/ गारण्टीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं)/ गारण्टीकर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन ना करे यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमे नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय है यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारण्टीकर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत यथावर सम्पत्तियों की निविदा/बीड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है", तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक **22.12.2025** को की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेण्डर बन्द निविदा के माध्यम से दिनांक **20.12.2025** को सांय 4.00 बजे तक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- मकान नं0- 10 व 10/1, चतुर्थ तल, कलपतरू कॉम्पलेक्स, नई बस्ती, जी.टी. रोड, पोस्ट- पीडीडीयू नगर, (मुगलसराय) जिला- चंदौली- 232101 में प्रस्तुत कर सकते है। सार्वजनिक निविदा तिथि **22.12.2025** को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- मकान नं0- 10 व 10/1, चतुर्थ तल, कलपतरू कॉम्पलेक्स, नई बस्ती, जी.टी. रोड, पोस्ट- पीडीडीयू नगर, (मुगलसराय) जिला- चंदौली- 232101 में खोली जायेगी।

क्रम सं0	ऋणी/बंधकर्ता का नाम, पता, शाखा व खाता संख्या	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक/कब्जा दिनांक/ कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक	बकाया धनराशि (रूपये में)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि (रूपये में)
1.	**ऋणी/ ओं-** 1. संजय जायसवाल पुत्र रामआधार जायसवाल, 2. गुड़िया देवी पत्नी संजय जायसवाल **पता-** दोनों निवासी मकान नम्बर- 721, मुगलचक, अलीनगर, जिला- चंदौली, पिन- 232101 **जमानतदार/ ओं-** 1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी भगवान दास जायसवाल निवासी मकान नम्बर- 42, लॉट नम्बर- 1, वेस्टर्न बाजार, मुगलसराय, जिला- चंदौली, पोस्ट- 232101 2. श्री शशि कुमार पुत्र प्रभात जायसवाल निवासी वेस्टर्न बाजार, मुगलसराय चंदौली, जिला- चंदौली, पोस्ट- 232101 **खाता सं0- 818126510024204** **शाखाः अलीनगर**	भूमि एवं भवन जो कि श्री संजय जायसवाल पुत्र स्व0 रामआधार जायसवाल निवासी ग्राम- मुगलचक, अलीनगर, अराजी नम्बर 1102, मौजा- अलीनगर, परगना- धुस, जिला- चंदौली **चौहद्दी-** उत्तर- महेन्द्र केशरी की जमीन, दक्षिण- लक्ष्मी देवी की जमीन, पूरब- कच्चा रास्ता, पश्चिम- यादव का मकान	**17.10.2020** **20.01.2021** भौतिक कब्जा	**1625753.00** (वर्तमान बकाया रू0 **1237541.33**) + ब्याज एवं अन्य खर्च 17.10.2020 से	**15,13,000.00** **1,51,300.00**

विक्रय के नियम एवं शर्ते- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके उपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक चंदौली के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलंग्न करें। अधिक्तम निलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं कि धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को लेकर) अगले दिन तक बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची / समस्त निविदा को स्वीकार /अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्रधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी चार्ज, लियन, इन्कम्बरेन्स, प्रश्नपट टैक्स, सरकारी ड्यूज अन्य के प्रति जिम्मेदार नही होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नही होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नही बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह उनके बीच आपस में पूनः बीडिगं करा ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी " जो है जैसी है" तथा " जहॉ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9.यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरिक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरिक्षण हेतु सम्बन्धित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। 10. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/गारण्टीकर्ताओं के लिये विषेश रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्यतया रूप से है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अर्न्तगत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैद्यानिक सूचना

नोटः प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बंधित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक 12.11.2025 स्थान चंदौली प्राधिकृत अधिकारी